



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2629]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2016/कार्तिक 13, 1938

No. 2629]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2016/KARTIKA 13, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2016

का.आ. 3383(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 04.05.2016 की अधिसूचना का.आ. 1646 (अ) के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा में लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों/पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यतः अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों/पुलिस चौकी के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा से यह पता चलता है कि :-

- (i) अभी तक जारी नागा विद्रोह की वजह से तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों में सुरक्षा की स्थिति खराब बनी हुई है;
- (ii) एनएससीएन/के, एनएससीएन/आईएम, एनएससीएन/आर तथा एनएससीएन/एनके नामक नागा भूमिगत गुट जवरन धनवसूली, क्षेत्र आधिपत्य, अन्तर गुटीय शत्रुता जैसी गतिविधियों में संलिप्त हैं;
- (iii) एनएससीएन (के) उल्फा (आई) के साथ सक्रिय रूप से मिलकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के अपने प्रयत्नों को जारी रखे हुए है।

- (iv) एनएससीएन (आई एम) अब तक एनएससीएन (के) द्वारा अधिकृत क्षेत्रों पर आधिपत्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है तथा डराने/धमकाने और जबरन धन वसूली करने का कार्य कर रहा है;
- (v) एनएससीएन (आर) तिरप, लांगडिंग तथा चांगलांग जिलों में भी सक्रिय हैं तथा अपने सशस्त्र काडरों के साथ स्थानीय युवकों को भर्ती करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है;
- (vi) एनएससीएन (एन के) लांगडिंग जिले में अपना प्रभाव जमाने में सफल रहा है तथा वह जबरन धनवसूली एवं अपहरण में लगा हुआ है;
- (vii) उल्फा (आई) ने अरुणाचल-असम सीमा पर कतिपय पॉकेटों में जबरन धन वसूली में संलग्न होना शुरू कर दिया है। इन क्षेत्रों में विद्रोह-रोधी प्रचालनों से बचने तथा म्यांमार में/से घुसपैठ करने के लिए एनडीएफवी (एस) तथा एनडीएफवी (आर) काडरों की आवाजाही की भी सूचना है।

अतः अब, अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के जिलों के निम्नलिखित पुलिस थानों/पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 4.11.2016 से छह महीने के लिए, जब तक कि इससे पहले इसे वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है:-

- (i) पपूमपारे जिले में बंदरदेवा, देवमुख, बालिजन एवं किमिन पुलिस थाने;
- (ii) पश्चिम मियांग जिले में लिकावली पुलिस थाना;
- (iii) पूर्वी मियांग जिले में रुक्सिन, नारी एवं ओयान पुलिस थाने;
- (iv) निचली दिवांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;
- (v) पूर्वी कैमंग जिले में सेइजोसा पुलिस थाना;
- (vi) पश्चिमी कैमंग जिले में भालूकपोंग एवं बालेमू पुलिस थाने;
- (vii) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर थाने;
- (viii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना;
- (ix) दुलुंग मुख पुलिस चौकी, लोअर सुवनसिरी जिला।

[फा.सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4<sup>th</sup> November, 2016

**S.O. 3383 (E).**—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958(28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations/police out post in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O. 1646(E) dated 4.5.2016.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations/police out post in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam indicate that: -

- i) security scenario in Tirap, Changlang and Longding districts remains vitiated by the spillover of Naga insurgency;
- ii) Naga UG factions namely NSCN/K, NSCN/IM, NSCN/R & NSCN/NK continue to indulge in extortion, area domination, recruitment of locals, inter-factional rivalry;
- iii) NSCN(K), in active participation with ULFA(I), is persisting with its attempts to target Security Forces;
- iv) NSCN (IM) is contriving to dominate areas hitherto occupied by NSCN(K) and is resorting to intimidation and extortion;
- v) NSCN( R) is also active in Tirap, Longding and Changlang districts and with its armed cadres has been focusing on recruiting local youth;
- vi) NSCN(NK) has managed to gain a foothold in Longding district and is engaging in extortion and abduction;
- vii) ULFA(I) has started indulging in extortion in certain pockets along Arunachal-Assam boundary. Movement of NDFB(S) and NDFB (R) cadres has also been reported in these areas for escaping Counter Insurgency operations and for infiltrating to/from Myanmar.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following police stations/police out post in the districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for six months w.e.f. 4.11.2016, unless withdrawn earlier: -

- i) Banderdewa, Doimukh, Balijan and Kimin police stations in Papumpare district;
- ii) Likabali police station in West Siang district;
- iii) Ruksin, Nari and Oyan police stations in East Siang district;
- iv) Roing police station in Lower Dibang Valley district;
- v) Seijosa police station in East Kameng district;
- vi) Bhalukpong and Balemu police station in West Kameng district;
- vii) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;
- viii) Sunpura police station in Lohit district; and
- ix) Dulung Mukh Police Out Post, Lower Subansiri district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.